would provide accommodation from their own pool.

राज्यों द्वारा पुनः चुंगी लगाया जाना

3626. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में चुंगी लागू है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को जहां तक संभव हो, चुंगी न लगाने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो सम्बद्ध राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या देश में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पहले चुंगी हटा दी गयी थी परन्तु अब पुनः लगा दी गई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और पुनः चुंगी हटाए जाने के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) उन राज्यों के नाम नीचे दिये गये है जहां चुंगी प्रचलित है:—

1. गोवा
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. महाराष्ट्र
5. मणिपुर (केवल इम्फाल नगर पालिका में)
6. उड़ीसा
7. पंजाब।

(ख) और (ग) किसी स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु माल के प्रवेश पर कर लगाने का उल्लेख संविधान की राज्य सूची की 52वीं प्रविष्टि पर आता है। इसे देखते हुए इसलिए चुंगी को समाप्त करने के प्रसंग की जांच करना राज्य सरकार का काम है क्योंकि यह उनके अधिकारी क्षेत्र में आता है तथापि, चुंगी के प्रश्न पर 1985 में इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुंगी को आंशिक समाप्त करने की सिफारिश की। रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को उनके नियंत्रण और संघ प्रशासन द्वारा पणिचालित को गयी थी।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इम्फाल नगर पालिका (मणीपुर) की नगर पालिका सीमा में चुंगी पुनः लागू की गयी है। राज्य सरकार ने बताया है कि नगर पालिका को जो अनुदान सहायता दी जा रही थी वह स्टाफ को अनुरक्षण लागत को पूरा करने के लिए निरन्तर अपर्याप्त होती जा रही थी। अतः चुंगी पुनः लगाई गई है।

Recovery of dues by Directorate of Estate from Retired Central Government Employees

3627. SHRI RAJNATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Directorate of Estates has issued notices for payment of dues to all the Central Government employees who had retired eight years ago;

(b) whether it is also a fact that the Directorate of Estates does not bother about the dues against the retired employees at the time of their retirement and they are harassed after a long period; and

(c) whether Government would take action to relieve these employees from this harassment and also ensure that they are not harassed because they are not in a position to pay after lapse of long period since their retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The Directorate of Estates has issued notices to all retired Government servants against whom Government dues are outstanding on account of overstay in Government accommodation after their retirement from the Government service.

(b) No, Sir.

(c) Action for the recovery of Government dues for unauthorised occupation of

Government accommodation has been initiated as per rules. Moreover the Hon'ble Supreme Court has directed recently to ensure initiation of proceedings for expeditious recovery of Government dues in such cases.

बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों के लिए योजनाएं

3628. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों के लिए कोई योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) और (ख) छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई०डी०एस० एम०टी०) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयू०डब्ल्यु०एस०पी०) की केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। जहां तक आई०डी० एस०एम०टी० का संबंध है स्कीमों के चयन और स्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदत्त किया गया है। राज्य स्तरीय आई०डी०एस०एम०टी० अनुमोदन समितियां आई०डी०एस०एम०टी० परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। जहां तक ए० यू० डब्ल्यु० एस० पी० का संबंध है विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 137 प्रस्तावों की केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सी०पी०एच०ई०ई०ओ०) द्वारा जांच की जा रही है। वार्षिक योजना, 1997-98 के दौरान स्कीमों के लिए योजना आयोग ने 28 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया है। लम्बित प्रस्तावों की सी०पी०एच०ई०ई०ओ० द्वारा जांच के पश्चात वार्षिक परिव्यय की सीमा शर्त पर पात्र स्कीमों के लिए निधियां जारी की जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का स्थानान्तरण

3629. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का स्थानान्तरण हर तीन से पांच वर्षों में कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो डी०आई०जैड एरिया, सैक्टर-4, नई दिल्ली के विद्युत मंडल संख्या-12 और कलावती सरन अस्पताल मंडल के इंजीनियरों के उनके मंडल में कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद भी स्थानान्तरण नहीं किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है और उनका स्थानान्तरण कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ विशिष्ट मामलों में, कार्य की अत्यावश्यकताओं में और प्रशासनिक कारणों से कार्यपालक इंजीनियरों को 5 वर्षों से अधिक के लिए रोका जाता है। कार्यपालक इंजीनियर विद्युत मण्डल सं० 12 के मामले में भी कार्य की अत्यावश्यकता के कारण उन्हें अब तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है। कार्यपालक इंजीनियर सुचेता कृपलानी अस्पताल मण्डल को उस मण्डल में 29.11.95 को ही तैनात किया गया है।

सहायक इंजीनियरों का स्थानान्तरण और तैनाती वरीयता और स्टेशन में रहने की अवधि के आधार पर की जाती है। सामान्य समय सीमा, जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है के पूरा हो जाने से यह अर्थ नहीं है कि एक सहायक इंजीनियर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्वतः ही स्थानान्तरित हो जायेगा क्योंकि दिल्ली से बाहर तुलना के आधार पर कम संख्या में पद हैं। विद्यमान में सहायक इंजीनियरों (विद्युत), जो मई, 1981 से पहले के तैनात हैं, को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया गया है। एक विशेष स्थान पर टिकने की अवधि के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ सहायक इंजीनियरों (विद्युत) की एक सूची तैयार की जाती है और प्रत्येक के स्टेशनों पर ठहरने की अवधि के आधार पर स्थानान्तरण किये जाते हैं। विद्युत मण्डल सं० 12 और सुचेता कृपलानी अस्पताल विद्युत मण्डल में तैनात किये गये में से मात्र एक सहायक इंजीनियर (विद्युत) का ही दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण [illegible]त है। तथापि, चूंकि कथित कार्मिक को अगले दो [illegible]ी सेवानिवृत हो जाना है अतः उसे दिल्ली से